यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक पुलिस संचार मुख्यालय उत्तराखंड देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक पुलिस संचार मुख्यालय उत्तराखंड देहरादून के माह 04/ 2017 से 11/ 2020 तक के अभिलेखों की लेखा परीक्षा श्री के० एस० चौहान सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री महेश चंद पर्यवेक्षक एवं श्री कुलदीप सिंह पँवार लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 23.12.2020 से 30.12.2020 तक श्री पी० के० गुप्ता वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

1. **भाग-I परिचयात्मकः** इस इकाई की यह प्रथम लेखा परीक्षा है। वर्तमान लेखापरीक्षा मे माह 04/ 2017 से 11/ 2020 तक के लेखाओं की जांच की गयी।
2. इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः **देहरादून**

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अवशेष			
							स्थापना		गैर स्थापना	
	स्था.	गैर स्था.	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आधि.	बचत	आधि.	बचत
2017-18	-	-	893.56	893.56	3474.15	3474.15	-	-	-	-
2018-19	-	-	882.00	882.00	307.24	307.24	-	-	-	-
2019-20	-	-	819.37	819.37	258.74	258.74	-	-	-	-

(ब) Autonomous Bodies की इकाईयों के विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति: **लागू नहीं**

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण: **शून्य**

विभाग का संगठनात्मक ढांचा

पुलिस उप महानिरीक्षक
पुलिस अधीक्षक
अपर पुलिस अधीक्षक
पुलिस उपाधीक्षक
निरीक्षक
उपनिरीक्षक
सहायक उपनिरीक्षक
मुख्य आरक्षी
आरक्षी

(ii) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में पुलिस उप महानिरीक्षक पुलिस संचार मुख्यालय उत्तराखंड देहरादून को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक पुलिस संचार मुख्यालय उत्तराखंड देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। अक्टूबर 2017, एवं मार्च 2019 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया तथा सभी मुख्य कार्यों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है।

(iii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा **13,** लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-II 'अ'</u>

<u>शून्य</u>

<u>भाग दो ब</u>

प्रस्तर 01- रु 2.87 लाख के सामग्री क्रय पर अनियमित व्यय।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के बिन्दु 3 अधिप्राप्ति के मौलिक सिद्धान्त (10) में स्पष्ट प्रावधान है कि निम्नतर दरों का लाभ प्राप्त करने के लिए यथासाध्य अधिकतम आवश्यक मात्रा की एक साथ अधिप्राप्ति का प्रयास किया जाए। अधिप्राप्ति मूल्य कम करने के लिए आवश्यक मात्रा को विभाजित नहीं किया जायेगा और न ही कुल आवश्यकता के आंकलित मूल्य के संदर्भ में अपेक्षित उच्चतर प्राधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता से बचने के लिए छोटे-छोटे भागों में विभक्त किया जायेगा। अध्याय-2 के बिन्दु 35 से स्पष्ट प्रावधान है रु 2.50 लाख अधिक की सामग्रीयां एवं सेवाये निविदा के माध्यम से किये जाने का प्रावधान है।

कार्यालय पुलिस उप-महानिरिक्षक पुलिस संचार मुख्यालय, उत्तराखण्ड देहरादून के बाउचर अभिलेखों वर्ष 07/2019 से 2020-21 (सम्प्रेक्षा अवधि 11/2020 तक की) जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा कुल आवश्यकता के आंकलित मूल्य के संदर्भ में अपेक्षित उच्चतर प्राधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता से बचने के लिए एक ही तिथि को सामग्री का क्रय छोटे-छोटे भागों में विभक्त कर किया गया है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि यदि सामग्री का क्रय टुकडो में नहीं किया गया होता तो निश्चित ही उक्त क्रय के लिए निविदा के माध्यम से सामग्री का क्रय करना पडता। इससे यह स्पष्ट होता है कि सामग्री क्रय में नियमों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया है। ऐसे क्रय की गयी सामग्री का विवरण निम्नवत हैः-

क्र.सं.	**सी.ओ.न.**	**वर्ष**	**फ्रम का नाम**	**बीजक सं.**	**दिनांक**	**धनराशि**	**योग**
1.	254	2019-20	M/S Sanchar telesystems limited new Delhi	0654	18.10.2019	1,65,200	2,87,625
			M/S Sanchar telesystems limited new Delhi	0655	18.10.2019	1,22,425	

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर विभाग ने अवगत कराया कि प्राप्त कोटेशन के आधार पर फर्म की साख एवं गुणवत्ता के अनुसार समिति की सहमति से क्रय किया गया है। उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि सामग्री का क्रय एक ही फर्म से एक ही तिथि को छोटे–छोटे भागों में विभक्त कर किया गया है। विभाग द्वारा यदि सामग्री का क्रय टुकडो में नहीं किया होता तो नियमानुसार निवदायें आमंत्रित की जाती जिससे विभाग को अधिक से अधिक फर्मो से प्रतिस्पर्धात्मक दरों का लाभ प्राप्त किया जा सकता था।

अतः रु 2.87 लाख के सामग्री क्रय पर अनियमित व्यय किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग दो-ब</u>

प्रस्तर 02- अटल आयुष्मान योजना के अन्तर्गत रु 7.25 लाख SGHS अंशदान की वेतन से कटौती न किया जाना।

भारत/अटल आयुष्मान, उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-688/XXXVVIII-04-2018-4/2008 सितम्बर 2018 एवं संशोधित शासनादेश संख्या-(1)XXXVVIII-3-2020 मई 2020 उत्तराखण्ड राज्य के समस्त राजकीय कर्मिकों एवं पेंशनर्स को राज्य SGHS (State Government Health Scheme) के अन्तर्गत चिकित्सकीय उपचार को प्रभावी बनायें जाने हेतु दरों निम्न दरों पर प्रतिमाह वेतन अंशदान नियमानुसार किया जायेगा।

1. वेतन लेवल 1 से 5 तक के राजकीय कार्मिकों/ पेंशनर्स/परिवारिक पेंशनर्स को (09/2018 से 04/2020) रू 100 प्रतिमाह एवं 05/2020 से 11/2020 तक रू 250/- प्रतिमाह।

2. वेतन लेवल 6 तक के राजकीय कार्मिकों/ पेंशनर्स/परिवारिक पेंशनर्स को (09/2018 से 04/2020) रू 200 प्रतिमाह एवं 05/2020 से 11/2020 तक रू 450/-प्रतिमाह।

3. वेतन लेवल 7 से 11 तक के राजकीय कार्मिकों/ पेंशनर्स/परिवारिक पेंशनर्स को (09/2018 से 04/2020) रू 300 प्रतिमाह एवं 05/2020 से 11/2020 तक रू 650/-प्रतिमाह।

4. वेतन लेवल 12 एवं उत्चतर राजकीय कार्मिकों/ पेंशनर्स/परिवारिक पेंशनर्स (09/2018 से 04/2020) रू 400 प्रतिमाह एवं 05/2020 से 11/2020 तक रू 1000/-प्रतिमाह।

विभागाध्यक्ष/आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तानुसार अंशदान की कटौती ट्रेजरी/आहरण वितरण अधिकारी के माध्यम से की गई है एवं कटौती उपरांत धनराशि राज्य स्वास्थ्य अभिकरण के खातें में e- transaction के माध्यम से प्रतिमाह जमा की जायेगी।

कार्यालय पुलिस उप-महानिरिक्षक पुलिस संचार मुख्यालय, उत्तराखण्ड देहरादून के अटल आयुष्मान योजना एवं वेतन से सम्बन्धित अभिलेखें की जाँच में पाया गया कि कार्यालय में किसी भी अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन से SGHS अंशदान माह 09/2018 से माह 11/2020 तक रु 7.25 लाख की कटौती नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर विभाग ने अवगत कराया कि उक्त सम्बन्ध में आदेश प्राप्त होने के बाद कार्यवाही की जायेगी। उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि SGHS धनराशि की कटौती उसी माह वेतन से किया जाना चाहिए जब शासनादेश लागू करने हेतु जारी किया गया था। जबकि विभाग द्वारा शासनादेश की अवहेलना कर कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन सें सम्प्रेक्षा तिथि (11/2020) तक SGHS अंशदान कटौती नहीं की गयी थी।

अतः अटल आयुष्मान योजना के अन्तर्गत रु 7.25 लाख SGHS अंशदान की वेतन से कटौती न किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

(अ) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या	भाग दो"अ"प्रस्तर संख्या	भाग -दो"ब" प्रस्तर संख्या	अनुपालन आख्या
यह इकाई की प्रथम लेखा परीक्षा है।			

भाग-IV

(शून्य)

भाग - V

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः **शून्य**
3. सतत् अनियमितताएँ नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में शामिल की गई हैं।
4. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री जगत राम	उप महानिरीक्षक	01.09.2017 से अब तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखा परीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस संचार मुख्यालय उत्तराखंड देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि इसकी अनुपालन आख्या प्राप्ति के एक माह के अन्दर उप महालेखाकार/ ए०एम०जी० III, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड देहरादून को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-III